उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-505/2023/3798/41-2023-106(बजट)/2023
लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2023

शुद्धि पत्र

पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-205/2023/1425/001-106-Budget-2023, दिनांक 18.03.2023 द्वारा 02 अन्य परियोजनाओं के साथ जनपद बलिया के वि०ख० बासडीह में श्री वीर कुँवर सिंह के नाम पर शहीद स्मारक का निर्माण हेतु आदेश निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश में अंकित प्रायोजना का नाम "जनपद बलिया के वि०ख० बासडीह में श्री वीर कुंवर सिंह के नाम पर शहीद स्मारक का निर्माण" के स्थान पर "जनपद बलिया के तहसील बांसडीह में श्री कुंवर सिंह के नाम पर शहीद स्मारक का निर्माण" एतद्द्वारा अंकित जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 18.03.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा / पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ० प्र०, लखनऊ को उनके पत्र सं0-3303/6-1-1(1704)/2022-23, दिनांक 11.08.2023 के सन्दर्भ में।
5. जिलाधिकारी, बलिया।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल।
10. पर्यटन सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल |

आज्ञा से

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।